न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 08/2025(जी.सी.एम.एस.2025/123)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सुखदेव सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी मकान संख्या 16 बी भरतनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2. बलदेव सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी मकान संख्या 16 बी भरतनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1.जगदेव सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी मकान संख्या 9, संत कृपाल नगर सुरजीत सिंह कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू:–16.04.2025

उपस्थितः1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

––निर्णय–– दिनांक : 20.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 29 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/20 के मुरब्बा नम्बर 24, 25 की कुल 3.593 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 20/6 के मुरब्बा नम्बर 25, 34 की कुल 0.160 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम व खाता संख्या 40/6 के मुरब्बा नम्बर 24, 25 की कुल 3.666 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 29 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 42/6 के मुरब्बा नम्बर 23, 29, 30, 34, 61/22 की कुल 4.762 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण सुखदेव सिंह, बलदेव सिंह, जगदेव सिंह तथा हरदेव सिंह चार भाई है। उक्त रकबा जद्दी जायदाद की कृषि भूमि थी। हम चारों भाईयों ने जद्दी जायदाद के बंटवारा हेतु पारिवारिक समझौता दिनांक 29.12.1988 को किया था। चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 34 की मुख्य सडक से रास्ता किला नम्बर 22 में प्रवेश करता है, जो मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 22, 19, 12, 9, 2 की पूर्वी दिशा की बट के साथ-साथ उतर दिशा तक, किला नम्बर 2 तक आता है। उसके पश्चात् किला नम्बर 2 से पश्चिम दिशा में से होकर 1 में चला जाता है तथा पूर्वी दिशा में किला नम्बर 3 में उतरी दिशा में प्रवेश करता है। जो किला नम्बर 4 तक जाता है और इसके पश्चात उतर दिशा तक मुडकर मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 की बट के साथ-साथ उतर दिशा की तरफ जाता है, उसके पश्चात् पूर्वी दिशा में मुडकर किला नम्बर 16 की उतर दिशा से होकर मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 11 की दक्षिण दिशा में प्रवेश करता है। मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 4, 5 में रास्ता को छोडकर प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण का पुश्तैनी मकान बना हुआ है। जो बंटवारानामा दिनांक 18.07.2007 में प्रार्थीगण के भाई हरदेव सिंह के हिस्सा में आया था। बंटवारानामा दिनांक 18.07.2007 में स्पष्ट अंकित है कि घर से खेत तक चालू रास्ता हम चारों भाईयों का है। इसके पश्चात् दिनांक 21.05.2022 को पुनः चारों भाईयों के मध्य एक राजीनामा हुआ था, जिसमें भी मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 4 में निर्मित मकान को छोडकर उतरी दिशा रास्ता 11 फीट छोडा रहेगा। जिसमें चारों भाईयों का सांझा होगा। प्रार्थी के भाई हरदेव सिंह ने मुरब्बा नम्बर 23 में दर्ज अपना समस्त हिस्सा एंव मुरब्बा नम्बर 34 में पुश्तैनी मकान अप्रार्थी को बेचान कर दिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 4 में मकान की भूमि एंव रास्ता की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा लिया और मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 4 में 70-80 वर्षो से चल रहे रास्ता को गेट में ताला लगाकर बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत में आने-जाने में बडी परेशानी होती है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण ने जब भी अप्रार्थी को उक्त चल रहे रास्ता को रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने को निवेदन किया तो वह हर बार टाल-मटोल करता चला आ रहा है। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 29 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 4 की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व चल रहे 11 फीट चौडे रास्ता को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 22, 19, 12, 9, 2 में चल रहा रास्ता मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। उक्त अस्वीकृत चालू रास्ता किला नम्बर 3, 4 तक नहीं जाता है और उसके आगे मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 की बट के साथ-साथ उतरी दिशा की तरफ नहीं जाता है और उसके पश्चात् किला नम्बर 16 की उतर दिशा से होकर मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 11 की दक्षिण दिशा में प्रवेश नहीं करता है। मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 4, 5 में कोई रास्ता नहीं है। किला नम्बर 3, 4 में अप्रार्थी का रिहायशी मकान है। राजीनामा दिनांकित 21.05.2022 एंव 18.07.2007 अवैध दस्तावेजात है। जिनकी कोई विधिक मान्यता नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार का कोई वाद कारण हासिल नहीं होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व दायर होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2025/518 दिनांक 14.05.2025 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण व पटवारी हल्का कमीनपुरा द्वारा चक 29 एफ के मुरब्बा नम्बर 23, 29, 30, 34, 24, 25 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 5 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 4 मे से रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने कृषि जोत में पहुंचने बाबत कोई सरकारी रास्ता रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं है। हरदेव सिंह द्वारा दिनांक 06.09.2022 को एक रजिस्ट्री उपपंजीयक केसरीसिंहपुर के समक्ष जगदेव सिंह के पक्ष में करवाई गई है। जिसमें उक्त मकान को जगदेव सिंह को बेचान कर दिया गया है। आज दिनांक को उक्त रकबा जगदेव सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मौके पर उक्त रास्ते पर दो गेट पुराने काफी समय से लगे हुए है, गेट पर ताला लगा हुआ है। मौके पर उक्त रास्ता बंद है प्रार्थी सुखदेव सिंह पुत्र गुरनाम सिंह अन्य रास्तों से आना जाना कर रहे है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम 29 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/20

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

के मुरब्बा नम्बर 24, 25 की कुल 3.593 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 20/6 के मुरब्बा नम्बर 25, 34 की कुल 0.160 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 40/6 के मुरब्बा नम्बर 24, 25 की कुल 3.666 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 4 की उतरी बट के साथ-साथ 11 फीट चौडाई से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 5 तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। परन्तु किला नम्बर 3, 4 में अप्रार्थी का रिहायशी मकान है। मौके पर बाथरूम कमरे आदि बने हुए है एंव गेट लगे हुए है, गेटो पर पक्की छत है। **यह** रास्ता व्यावहारिक नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यातिंक आवश्यकता है। इसलिए चक 29 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 की दक्षिणी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि में रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण आशिंक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 29 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 की दक्षिणी बट के साथ 0.019-0.019 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 21 ता 25 की कुल 0.095 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/413 **दिनांक :-20.06.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः-प्रकरण संख्या 08/2025 अनवान सुखदेव सिंह आदि बनाम जगदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 20.06.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 29 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 की दक्षिणी बट के साथ 0.019-0.019 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 21 ता 25 की कुल 0.095 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)